स्वावलंबी भारत अभियान

भारत के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक संगठनों की व्यापक पहल

MySBA DIGITAL PLATFORM

जिला रोजगार सृजन केंद्र

भूमिका एवं उद्देश्यः स्वावलंबी भारत अभियान, भारत में रोजगार सृजन के विभिन्न मार्ग व उपाय विकसित करने का एक अभियान है। इसके अंतर्गत एक ऐसी तंत्र रचना बनानी आवश्यक है जो स्थाई रूप से युवाओं को नौकरियों के अवसर खोजने, उद्यमिता के सब प्रकार के प्रयोगों को करने, एफपीओ, स्टार्टअप, सहकारिता व अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं की न केवल जानकारी देने वाला हो, बल्कि उस प्रक्रिया को अपनाने में उनका प्रत्यक्ष सहयोग (Hand holding) भी करें।

फिर सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, बैंक की लोन योजनाएं, सब्सिडी आदि के बारे में भी जानकारियां उपलब्ध करवाने वाला एक केंद्र चाहिए। इतना ही नहीं, तो उस जिले के युवक–यवतियों के रोजगार संबंधी सब प्रकार की रोजगार योजनाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला व सर्वसुलभ भी हो, ऐसा एक केंद्र जिला स्तर पर अभियान की सफलता हेतु आवश्यक है। उस जिले की युवा शक्ति व संसाधनों का ठीक से अध्ययन व आकलन कर उस जिले को पूर्ण रोजगारयुक्त व आर्थिक रुप से समृद्ध जिला बनाना, इसका उद्देश्य रहेगा।

संचालन टोलीः जिला केंद्र पर 8–9 लोगों की एक संचालन टोली रहेगी। जिसमें **प्रथम**, एक मार्गदर्शक, जो अनुभवी उद्यमी, विषय तज्ञ अथवा प्राध्यापक हो, वह इस केंद्र का मार्गदर्शक रहेगा। **द्वितीय,** कार्यकर्ता, व्यवस्थापक, सब प्रकार की उस केंद्र की आवश्यकताओं की पूर्ति, रखरखाव व आर्थिक विषयों की संभाल व संचालन करेगा। **तीसरा,** एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो प्रतिदिन 4 घंटे उस केंद्र पर बैठकर प्रत्यक्ष युवाओं से बातचीत, चर्चा, बैठक व कार्यक्रम आदि का आयोजन करेगा। उसके सहयोग के लिए 4–5 स्थानीय युवक–युवतियों की टोली भी रहे। इस प्रकार कुल 8–9 लोगों की टोली, जिला रोजगार सृजन केंद्र का संचालन करेगी।

स्थान, कार्यालयः यह जिला रोजगार सृजन केंद्र, जिला केंद्र पर स्थित किसी विद्या मंदिर, किसी बड़े मंदिर परिसर अथवा अन्य भवन, जिसमें सहजता से दो कक्ष उपलब्ध हो, और वहां आना–जाना सर्वसुलभ हो, तय करना। इसके अतिरिक्त वहां पर अलमारी, कंप्यूटर, प्रिंटर, कुर्सियां, मेज तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था बनाई जाए। सामान्यता यह किराए पर न हो व संघ कार्यालय पर न हो।

विद्या भारती के विद्यालय, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम आदि के केंद्र या कोई अन्य सामाजिक, शैक्षिक स्थल हो सकता है। जहां सायंकाल 3.00 से 7.00 (या 2.00 से 6.00) में सुविधा हो, जिला रोजगार सृजन केंद्र के लिए तय हो सकते हैं।

पूर्णकालिक कार्यकर्ता: अपना कोई पुराना अथवा नया कार्यकर्ता, जो गंभीर व योग्य हो, उसे एक निश्चित मानधन पर तय करना। जो प्रतिदिन न्यूनतम आठ से दस घंटे स्वावलंबी भारत अभियान के लिए लगाएगा। वह दोपहर बाद 2 से 6 या 3 से 7 सायंकाल रोजगार सृजन केंद्र पर नियमित बैठेगा। वह प्रातः काल 9:00 से 2:00 तक या 10:00 से 3:00 बजे तक विभिन्न महाविद्यालयों, जिला उद्योग केंद्र, बैंक व अन्य रोजगार संबंधी व्यक्तियों से या व्यक्ति समूहों से, संस्थानों से संपर्क का कार्य करेगा। अभियान के अन्य प्रकार के कार्य करने में भी सहयोगी रहेगा। वह रोजगार सृजन केंद्र को चलाने की सब प्रकार की जिम्मेदारी निभाएगा।

उसका शुरू में गहन प्रशिक्षण भी करना होगा। यह प्रशिक्षण न्यूनतम प्रांत स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर 3 दिन या अधिक का करना चाहिए।

प्रक्रिया: रोजगार सृजन केंद्र पर विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी जिज्ञासाओं के लिए युवकों को आने के लिए प्रेरित करना। उनके ईडीपी (एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम), उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन, मास में एक या दो बार आयोजित करना। जिले में अलग–अलग संस्थाओं और व्यक्तियों से बातचीत करके रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खुलवाना। पूर्व में चल रहे केंद्रों में तालमेल, प्रशिक्षण करना। युवाओं को यदि नौकरी के अवसर ढूंढना है, तो भी उन्हें यहां से आशा होगी और उन्हें उद्यमिता, स्टार्टअप अथवा कृषि में मूल्य संवर्धन के लिए एफपीओ आदि के बारे में जानना होगा, तो वे भी यही आएं। रोजगार सृजन केंद्र पर सब प्रकार की सूचनाएं, सरकार की योजनाएं, वहां की उद्योगों की स्थिति, नए कार्य शुरू करने वालों के लिए सुझाव, सफल उद्यमियों के साथ युवाओं की चर्चा, वार्ता, व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी इस केंद्र के माध्यम से होगा।

अर्थव्यवस्था: पहले 2 वर्ष के लिए सब प्रकार के खर्चों की व्यवस्था बाहर से करनी होगी। पूर्णकालिक व अन्य प्रकार के खर्चे सहित 3 लाख रू. वार्षिक तक का खर्च न्यूनतम होने का अनुमान है। यह व्यवस्था सीएसआर (कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी), शैक्षिक व सामाजिक ट्रस्टों, आर्थिक संगठनों अथवा अन्य प्रकार से की जा सकती है।

प्रांत अनुसार ही यह व्यवस्था करनी होगी। प्रांत में इसके लिए 4–5 लोगों की टोली रहनी चाहिए। एक बार चलने के बाद धीरे–धीरे यह सृजन केंद्र अपने विस्तार व संचालन के लिए समाज से सहयोग जुटाने का कार्य भी प्रारंभ करेगा। 2 वर्ष बाद यह केंद्र आर्थिक रूप से स्वनिर्भर हो जाए, इसकी प्रक्रिया भी इस केंद्र को विकसित करनी है।

अन्य संगठन: कार्य आवंटन... स्वावलंबी भारत अभियान में अनेक संगठन लगे हैं। प्रांत अनुसार जिस संगठनों का जिस जिले में अच्छा काम हो, वह उस जिले के रोजगार सृजन केंद्र के संचालन का कार्य करेगा। उदाहरण के लिए यदि विद्यार्थी परिषद 5 जिलों में प्रभावी है और सेवा भारती 3 में, किसान संघ 4 में, तो वे उन–उन जिलों के केंद्रों की पूरी जिम्मेवारी ले सकते हैं। अभियान टीम के अन्य संगठन उस जिले में, उस संगठन का सब प्रकार का सहयोग करेंगे। राजनीति क्षेत्र सहित सभी संगठनों को न्यूनतम एक व अधिकतम उनकी स्थिति अनुसार केंद्रों का दायित्व लेना चाहिए।

जिले की यह संरचना व आवंटन की ईकाई प्रांतीय रहेगी। क्षेत्र व केंद्र इस विषय में नीति निर्धारण व मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। संघ के अधिकारियों का सहयोग व मार्गदर्शन लेने के लिए भी उपयुक्त बंधुओं से चर्चा करनी चाहिए। संचालन की सब प्रकार की प्रक्रियाएं प्रांत व जिलों में ही होंगी।

युवाओं का अभियानः इस सारी प्रक्रिया से अपने जिला रोजगार सृजन केंद्र पर युवा शक्ति बड़ी मात्रा में आएगी। हम संगठन के कुशल लोग हैं, इस संपर्क में आ रही (रोजगार के नाते से) युवा शक्ति को न केवल हम रोजगार प्रदान करने में सहयोगी होंगे, बल्कि उन्हें अपने विचार परिवार के विभिन्न संगठनों, कामों व कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से जोड़ने का काम भी करेंगे।

यह अभियान युवाओं हेतु है, युवाओं द्वारा ही चलेगा और नई युवा शक्ति इसके कारण से अपने संगठन तंत्र में बड़ी मात्रा में जुड़ जाएगी। तभी इस रोजगार सृजन केंद्र की पूर्ण सार्थकता भी होगी।

उद्घोष

गांव शहर की एक पुकार
उद्यमिता और स्वरोजगार

स्वरोजगार अपनाएंगे
देश समृद्ध बनाएंगे

सहकारिता अपनायेंगे
पूर्ण रोजगारयुक्त देश बनायेंगे

एफपीओ स्टार्टअप चलाएंगे
देश का रोजगार बढ़ाएंगे

जय स्वदेशी
जय जय स्वदेशी

कौशल विकास
देश का विकास

चायनीज वस्तु छोड़कर
बोलो वंदेमातरम्

कृषि उद्यमिता अपनाओ
देश को गरीबीमुक्त बनाओ

कला-कौशल सीखो
कभी नहीं होंगे बेरोजगार

जब बाजार जायेंगे
सामान स्वदेशी लायेंगे

Don't be Job Seeker, Be Job Provider